न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-15/2021

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) अरविन्दो दास (चालक), पे0-स्व0 सुशिल दास, सा0-सत्यजीत नगर, वार्ड नं0-46 सिल्लीगुड़ी, थाना-प्रधान नगर, जिला-दार्जलिंग (प0बं0)

(2) पप्पु सिंह (शराब कारोबारी), पे0-राजेन्द्र सिंह, सा0-मरिचा, वार्ड नं0-09, थाना-बनियापुर, जिला-छपरा (सारण)

(3) रौशन कुमार (शराब कारोबारी), पिता-नामालुम, सा0-कोकाई जोत, थाना-प्रधान नगर, जिला-दार्जलिंग

(4) चंदन कुमार, दरभंगा बिहार मोबाईल नं0-8967322619 का धारक का धारक

(5) अमरदीप श्रीवास्तव (वाहन मालिक)
पिता-रामघन राम,
वर्तमान पता-गंगा नगर, ग्राम-रोड नं0-02
थाना-सिल्लीगुड़ी, राज्य-पश्चिम बंगाल
जिला-दार्जलिंग, पिन कोड-734001
स्थाई पता-एन0एच0-21, ग्राम-जरोली ग्राम
थाना-कनकपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, जिला-कनकपुर नगर
पिन कोड-208207
(बोलेरो पीकअप चार चक्का वाहन पंजीयन सं0-WB73C-7374
ईजन सं0-GHDIB20630, चेसीस सं0-MAIZN2GHKD1B26079 का मालिक) ....विपक्षीगण

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
22.07.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 41/मद्यनिषेध, दिनांक-11.01.2021) के आलोक में अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या-1016/2020, दिनांक-11.12.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त बोलेरो पिकअप चार चक्का वाहन पंजीयन संख्या-WB73C-7374, चेचिस संख्या- MAIZN2GHKD1B26079, ईजन सं0-GHDIB20630 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षियों को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी सं0-5 को निबंधित डाक से प्रेषित सूचना बिना तामिला वापस प्राप्त है। (2) "दैनिक भास्कर एवं दैनिक जागरण" समाचार पत्र में दिनांक 09.04.2021 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी/वाहन मालिक की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। विपक्षी/वाहन मालिक को अंतिम मौका दिया गया है। स्पष्ट है कि विपक्षी/वाहन मालिक को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को एकपक्षीय सुना गया। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-41/मद्यनिषेध, दिनांक-11.01.2021) एवं संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया।	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
22.07.2021	(3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि सहायक अवर निरीक्षक, बैरगाछी पुलिस ओ0पी0 दिनांक-10.11.2020 को रात्रि गश्ती में हवलदार 74 योगेन्द्र प्रसाद सिपाही 514 अखिलेश कुमार सदा, सिपाही 524 नितीश कुमार, सिपाही 288 राज कुमार चालक सिपाही 13 राहुल कुमार के साथ सरकारी जिप्सी से समय 22.30 बजे प्रस्थान किया। गश्ती के कम में समय करीब 04.45 बजे कुर्साकांटा मोड़ पर उन्हें गुप्त सूचना मिली कि बंगाल की ओर से एक उजले रंग की बोलेरो पीकअप निबंधन संख्या- WB73C-7374 से शराब लाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भंगिया बैली ब्रिज के पश्चिम छोर पर वह वाहनों की जाँच प्रारंभ किया। समय करीब 05.30 बजे पूर्वाह्न में उक्त नम्बर की गाड़ी दिखाई दी, जिसे रूकने का ईशारा किया गया। वाहन चालक गाड़ी को भगाने का प्रयास किया, जिसे सशस्त्र बलों के सहयोग से पकड़ लिया गया। गाड़ी में दो व्यक्ति (विपक्षी सं0-01 एवं 02) सवार थे। दो स्वतंत्र साक्षी-1. रहीम, पे0-स्व0 शरीफुल, सा0-तारण टोला-रमरई, वार्ड सं0-04, थाना-जोकीहाट, जिला-अररिया एवं 2. मुश्ताक आलम, पिता-जमीलुद्दीन, सा0-डूब्बा, वार्ड सं0-08, थाना-जोकीहाट, जिला-अररिया के समक्ष उक्त गाड़ी के डल्ला में लगे त्रिपाल को हटाकर देखा तो उसमें कार्टुन में रखा अंग्रेजी शराब-1. इम्पेरियल ब्लु 180 मिली लीटर का 15 कार्टुन में प्रत्येक कार्टुन में 48 पीस जिसमें 1. 12 कार्टुन में 576 बोतल अर्थात 103 लीटर 680 मिली लीटर 2. 03 (तीन) कार्टुन में 144 बोतल 25 लीटर 920 एम0एल0 3. MC Dowells 375 ML 24 कार्टुन में प्रत्येक कार्टुन 24 पीस अर्थात् 576 बोतल, 216 लीटर 4. रॉयल स्टेग-375 एम0एल0 का 30 कार्टुन प्रत्येक कार्टुन 24 पीस अर्थात् 720 बोतल एवं 270 लीटर 5. इम्पेरियल ब्ले 375 एम0एल0 26 कार्टुन में प्रत्येक कार्टुन में 24 पीस अर्थात 624 बोतल 234 लिटर 6. रॉयल स्टेग 750 एम0एल0 का 13 कार्टुन प्रत्येक कार्टुन 12 बोतल अर्थात 156 बोतल, 117 लीटर को बरामद किया गया। बरामद शराब एवं बोलेरो पीकअप चार चक्का वाहन पंजीयन संख्या-WB73C-7374, ईंजन संख्या-GHDI-B20630, चेचीस सं0-MAI-ZN2GHKD1B2-6079 को सहायक अवर निरीक्षक, बैरगाछी ओ0पी0 द्वारा विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिक्रय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षियों के विरूद्ध अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या-1016/2020, दिनांक-11.12.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 दर्ज किया गया।	

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त चार चक्का वाहन से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त चार चक्का गाड़ी राजसात होने योग्य है। जब्त चार चक्का गाड़ी को राजसात किया जाय।

(5)सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षियों द्वारा जब्त बोलेरो पीकअप चार चक्का वाहन का उपयोग भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त शराब का जाँच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। जब्त बोलेरो पीकअप चार चक्का वाहन पंजीयन संख्या-WB73C-7374, चेचिस संख्या-MAIZN2GHKD1B26079, ईजन सं0-GHDIB20630 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार अररिया(बैरगाछी) थाना कांड संख्या-1016/2020, दिनांक-11.12.2020 में **जब्त बोलेरो पिकअप चार चक्का वाहन पंजीयन संख्या-WB73C-7374, चेचिस संख्या-**MAIZN2GHKD1B26079, **ईजन सं0**-GHDIB20630 **को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात(Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापंक 1657/विधि, अररिया, दिनांक 29.7.2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया